उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नये समूह

1309. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों (उत्तरांचल) की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्या है;

(ख) इन श्रेणियों में किन-किन उपजातियों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में बसे बंगाली समुदाय के लोगों के एक वर्ग की "नवशूद्र" जाति का दर्जा देकर उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) प्रस्तावित नए उत्तरांचल राज्य की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.54% तथा 3.54% है।

(ख) पर्वतीय क्षेत्रों सहित उत्तर प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के नाम विधायी विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय, द्वारा प्रकाशित चुनाव कानून नियम पुस्तिका में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में ऐसे सभी अन्य मामलों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

Recommendations by National Commission on SCs and STs.

1310. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the details of the recommendation made by National Commission on Scheduled Castes and Scheduled Tribes regarding selection of judges by caste quota recruitment in armed forces, the private sector and science and research establishments; and

(b) Government's reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) and (b) The National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in discharge of its duties as in Section 2 Clause (5) sub-clause (d) of the Constitution (65th Amendment) Act, 1990 presents its Annual Report. As per Section 6 of the Act, the Reports along with the Action Taken Report are to be laid on the Table of the House. Hence till the report is laid on the Table of the House reaction of the Government cannot be expressed.

मध्य प्रदेश में फेरो मैंगनीज संयंत्र

1311. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित भरवेली खान में फेरो मैंगनीज संयंत्र की स्थापना की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्घाटन कब तथा किसके द्वारा किया गया था और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या उक्त परियोजना के संबंध में कोई आगे प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह परियोजना कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस): (क) से (घ) मैंगनीज ओर (इंडिया) लि० जो इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भरवेली खान पर एक 10,000 टन वार्षिक क्षमता का फैरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित कर रहा है। संयंत्र पूरा होने वाला है और इसके जुलाई, 1998 में चालू होने की संभावना है। संयंत्र के चालू होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जाएगा।